रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 16, 2007/पौष 26, 1928
No. 21] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 16, 2007/PAUSA 26, 1928

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2007

सा.का.नि. 28(अ).– केन्द्रीय सरकार, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की धारा 58 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भांडागारण अधिनियम, 1962 (1962 का 58) के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के लिए जैसा कि वह नियत दिन से पूर्व विद्यमान था, स्थापित मध्य प्रदेश भांडागारण निगम की आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों के प्रभाजन के संबंध में, के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश भांडागारण निगम (आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों का प्रभाजन) आदेश, 2006 है ।

(2) यह 1 अप्रैल, 2003 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. **परिभाषाएं** - इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से भाडागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) अभिप्रेत है ;

(ख) "नियत दिन" से इस आदेश के प्रयोजनों के लिए 1अप्रैल, 2003 अभिप्रेत है ;

(ग) "निगम" से नियत दिन से तत्काल पहले भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58)के अधीन स्थापित विद्यमान मध्य प्रदेश राज्य भांडागारण निगम अभिप्रेत है ;

3. **निगम का कारबार** -

(1) निगम मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 58 की उपधारा (3) के निबंधनों में 1अक्तूबर, 2002 से विघटित समझा जाएगा और निगम की आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों के प्रभाजन का यह आदेश है ।

(2) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 31मार्च, 2003 से प्रभावी मध्य प्रदेश भांडागारण और संभार तंत्र निगम का सृजन, मध्य प्रदेश राज्य भांडागारण निगम अपने विभाजन की तारीख से अर्थात्, 1अक्तूबर, 2002 से अपने कारबार से प्रवरित हो गया था किंतु उसे पुनः वर्ष 2000-02, 2001-02 और 2002-03 के वर्षों के लिए लेखों को अंतिम रूप देने और उन्हें स्वीकार करने तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य भांडागारण निगम और संभारतंत्र नामक नए निगम के सृजन तक अर्थात् 31 मार्च, 2003 के लिए निलंबन को पुनः सजीव कर दिया था ।

4. **तुलनपत्र** - निगम के तुलनपत्र में दिए गए ब्यौरों से, जैसे कि वह 1 अक्तूबर, 2002 को थे, निगम की लेखापरीक्षित आस्तियों और दायित्व गठित होंगे ।

5. **अंश पूंजी** - निगम की अंशपूंजी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तरवर्ती भांडागारण निगमों के मध्य ऐसी यथा सहमत रीति से, जिस पर मध्य प्रदेश भांडागारण और संभारतंत्र निगम और छत्तीसगढ़ राज्य भांडागारण निगम को केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा समर्थ बनाती है, को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 58 की उपधारा (3) के निबंधनों में अपनी सभी या किन्हीं आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों को निगम से ग्रहण करते हैं ।

(2) मध्य प्रदेश भांडागारण और संभारतंत्र निगम और छत्तीसगढ़ भांडागारण निगम प्रत्येक एक करोड़ रु. के अंकित मूल्य की अंशपूंजी जारी करेंगे जिसे दोनों अंशधारी अर्थात् क्रमशः राज्य सरकार और केन्द्रीय भांडागारण निगम 50: 50 आधार पर प्रथम बार में क्रमशः, राज्य भांडागारण निगम की दो करोड़ रु. की प्राधिकृत पूंजी के विरुद्ध अभिदाय करेंगे । अन्य शब्दों में, केन्द्रीय भांडागारण निगम दोनों नए गठित भांडागारण निगमों को प्रथम बार राज्य भांडागारण निगमों के गठन पर प्रत्येक को पचास लाख रु. की अंश पूंजी अभिदाय करेगा ।

6. **आस्तियां, अधिकार और दायित्व** -

(1) मध्य प्रदेश भांडागारण निगम की आस्तियां, अधिकार और दायित्व 1मई, 2002 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ द्वारा अंशों में क्रमशः 68.35: 31.65 के अनुपात में होगे और नए निगमों अर्थात् मध्य प्रदेश भांडागारण और संभारतंत्र निगम और छत्तीसगढ़ राज्य भांडागारण निगम में नए निगमों की स्थापना की तारीख क्रमशः 31 मार्च, 2003 और 2 मई, 2002 को अंतरित हो जाएगी ।

(2) आस्तियों और दायित्वों के विभाजन के पश्चात् 1मई, 2002 को मध्य प्रदेश राज्य भांडागारण निगम की आस्तियों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के गोदामों में रक्षित वस्तुओं को 2 मई, 2002 से छत्तीसगढ़ राज्य भांडागारण निगम को अंतरित हुई समझी जाएंगी । सभी शेष आस्तियां माल के साथ जो मध्य प्रदेश राज्य भांडागारण निगम के गोदामों में है, नियत तारीख से नए निगम मध्य प्रदेश भांडागारण और संभार तंत्र निगम को अंतरित हुई समझी जाएंगी ।

(3) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया नया निगम मध्य प्रदेश राज्य भांडागारण निगम के किसी भी बैंक खाते में, जिसमें वह वर्तमान कारबार कर रहा है, जमा हुई किन्हीं भी रकमों को लेने का हकदार होगा ।

(4) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए निगम, जो मध्य प्रदेश राज्य में रखे गए माल संपत्ति और हितों के संबंध में, मध्य प्रदेश भांडागारण और संभारतंत्र निगम और छत्तीसगढ़ राज्य भांडागारण निगम के किसी भी संविदा में सभी अधिकार, बाध्यताओं और दायित्वों के साथ हुआ समझा जाएगा, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य भांडागारण निगम छत्तीसगढ़ राज्य में मध्य प्रदेश राज्य भांडागारण निगम के भंडारित माल संपत्ति और हितों के संबंध में अधिकारों और दायित्वों को ग्रहण किया हुआ समझा जाएगा ।

(5) मध्य प्रदेश राज्य भांडागारण निगम की ओर से सभी दिवादों, लेखा परीक्षाओं के सभी खर्चे नए निगम अर्थात् मध्य प्रदेश भांडागारण और संभारतंत्र निगम द्वारा उसके कारबार को ग्रहण करने से संदत्त किए जाएंगे और मध्य प्रदेश भांडागारण और संभारतंत्र निगम और छत्तीसगढ़ राज्य भांडागारण निगम द्वारा सहमत अनुपात में हिस्सा किया जाएगा ।

7. **कर्मचारिवृंद** (1) मध्य प्रदेश राज्य भांडागारण निगम के कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों के संबंध में, राज्य सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार किए गए सिद्धांत के अनुसार 68. 35: 31. 65 के अनुपात में विभाजित होंगे ।

(2) मध्य प्रदेश राज्य भांडागारण निगम के कर्मचारियों की सेवाएं जो 2मई, 2002 को छत्तीसगढ़ में कार्य कर रहे थे, उस तारीख से छत्तीसगढ़ राज्य भांडागारण निगम को प्रतिनियुक्ति पर हुई समझी जाएगी ।

(3) मध्य प्रदेश राज्य भांडागारण निगम द्वारा सभी नियोजित कर्मचारिवृंदों की सेवाएं, उन कर्मचारियों से भिन्न जो छत्तीसगढ़ राज्य भांडागारण निगम को अंतरित सेवाओं में है, 31 मार्च, 2003 से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए नए निगम को अंतरित हुई समझी जाएंगी ।

(4) 2मई, 2002 से अतिरिक्त कर्मचारियों का वेतन जो आंशिक रूप से मध्य प्रदेश राज्य भांडागारण निगम द्वारा संदत्त किया गया था और यह सहमत अनुपात के अनुसार कर्मचारिवृंद के अंतरण तक पूरा होने तक दोनों निगमों द्वारा 50: 50 के आधार पर किया जाएगा ।

8. **समग्र वित्तीय समायोजन** - खंड 4 और खंड 6 में उल्लिखित आस्तियों और दायित्वों का विभाजन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य समग्र वित्तीय समायोजन के अधीन रहते हुए इस रीति से होगा कि शुद्ध आस्तियां अर्थात् दायित्वों से आस्तियों का अधिभार उन्हें 68. 35: 31. 65 के आधार पर उद्भूत होगा ।

9. **लेखें** - मध्य प्रदेश भांडागारण निगम और निगम की बही पुस्तकें और 31 मार्च, 2003 तक के सभी अन्य सुसंगत अभिलेख मध्य प्रदेश राज्य द्वारा रखे जाते रहेंगे ।

10. **संयुक्त आरक्षित निधि** - निगम के ज्ञात या अज्ञात दायित्वों को पूर्ण करने के क्रम में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में परस्पर करार पाई गई रकम, विभाज्य नकद/ बैंक में अतिशेष में से संयुक्त आरक्षित निधि के रूप में पृथक् कर दी जाएगी ; और मध्य प्रदेश राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य के परामर्श से, इस निधि का प्रचालन करेगा और उसके लेखे रखेगा । छत्तीसगढ़ राज्य, निगम के दायित्वों के अपने भाग का, जो इस आदेश के अनुसरण में आस्तियों और दायित्वों के अंतिम विभाजन के पश्चात् उद्भूत हो, यदि संयुक्त आरक्षित निधि इन दायित्व के निर्वहन के लिए पर्याप्त न हो तो प्रतिपूर्ति मध्य प्रदेश राज्य को करेगा ।

[सं. 7-1/2002-एसजी (खंड-III)]

एस. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 58 की उपधारा (3) के अधीन तत्कालीन मध्य प्रदेश भांडागारण निगम की आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों का प्रभाजन उत्तराधिकारी राज्यों के मध्य ऐसी रीति से किया जाना अपेक्षित था जिस पर निगम के विघटन से एक वर्ष के भीतर उन राज्यों के बीच सहमति हो जाती है या यदि सहमति नहीं हो पाती तो ऐसी रीति से किया जाना तो जो केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा अवधारित करें । तत्कालीन मध्य प्रदेश भांडागारण निगम 1 नवंबर, 2002 को विघटित हो गया था । उत्तराधिकारी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य 22 अप्रैल, 2002 तक आस्तियों, अधिकार और दायित्वों के प्रभाजन के बारे में सहमत नहीं हो सके थे । तद्नुसार, केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (3) के उपबंधों को 1 अप्रैल, 2003 को आदेश जारी कर लागू करने का निश्चय किया है । प्रस्तावित भूतलक्षी प्रभाव देने के कारण किसी भी पक्षकार के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 16th January, 2007

G.S.R. 28(E). - In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 58 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (28 of 2000), the Central Government hereby makes the following Order in relation to the apportionment of the assets, rights and liabilities of the Madhya Pradesh Warehousing Corporation established under the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962) as it existed immediately prior to the appointed day, namely: -

1. **Short title and commencement**. - (1) This Order may be called the Madhya Pradesh State Warehousing Corporation (Apportionment of assets, rights and liabilities) Order, 2006.

(2) It shall be deemed to have come into force on the first day of April, 2003.

2. **Definitions**. - In this Order, unless the context otherwise require, –

(a) "Act" means the Warehousing Corporation Act, 1962 (58 of 1962);

(b) "appointed day" for the purposes of this Order, means the 1st day of April, 2003,

(c) "Corporation" means the Madhya Pradesh State Warehousing Corporation established under the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962) as it existed immediately before the appointed day;

3. **Business of Corporation**. -

(1) The Corporation is deemed to have been dissolved with effect from the 1st day of October, 2002 in terms of sub-section (3) of Section 58 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000, and hence this Order of apportionment of assets, rights and liabilities of the Corporation.

(2) With the formation of Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation by the Government of Madhya Pradesh with effect from the 31st March, 2003, the Madhya Pradesh State Warehousing Corporation is deemed to have ceased to do business from the date of dissolution i.e. Ist day of October, 2002, but remained in suspended animation thereafter till finalization and adoption of accounts for the year 2000-01, 2001-02 and 2002-03 till the formation of new Corporation namely Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation by Madhya Pradesh Government viz. 31st. March, 2003.

4. **Balance Sheet**. – The details given in the balance sheet of the Corporation as on the 1st day of October, 2002 shall constitute the audited assets and liabilities of the Corporation.

5. **Share Capital**. - (1) The share capital of the Corporation would be apportioned between successor Warehousing Corporations of Madhya Pradesh and Chattisgarh in such manner as agreed upon between them by order of the Central Government enabling the Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation and Chattisgarh State Warehousing Corporation to take over from the Corporation all or any of its assets, rights and liabilities of the Corporation in terms of sub-section (3) of section 58 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000.

(2) Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation and Chattisgarh State Warehousing Corporation would issue the shares of the face value of Rs.1 crore each to be contributed both the shareholders namely the respective State Government and the Central Warehousing Corporation on 50:50 basis, in the first instance, against the authorized capital of the respective State Warehousing Corporation to be Rs.2 crore. In other words, Central Warehousing Corporation would be contributing Rs.50 lakh each to the equity of the two newly created Warehousing Corporations in the first instance, on the formation of the two new State Warehousing Corporations.

6. **Assets, Rights and Liabilities,-**

(1) The assets, rights and liabilities of the Madhya Pradesh Warehousing Corporation as on the 1st day of May, 2002 would be shared by Madhya Pradesh and Chattisgarh in the ratio of 68.35:31.65 respectively and transferred to the new Corporations that is Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation and Chattisgarh State Warehousing Corporation from the date the new Corporations were set up viz. 31st March,2003 and 2nd May,2002 respectively.

(2) After bifurcation of the assets and liabilities as on the 1st day of May, 2002, the assets of Madhya Pradesh State Warehousing Corporation alongwith goods stored in the godown in the State of Chattisgarh are deemed to have been transferred to Chattisgarh State Warehousing Corporation with effect from the 2nd May, 2002. All remaining assets alongwith goods stored in the godowns of Madhya Pradesh State Warehousing Corporation in Madhya Pradesh are deemed to have been transferred to the new Corporation Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation formed by the Madhya Pradesh Government from the appointed day.

(3) The new Corporation formed by Madhya Pradesh Government would also be entitled to take overall amount standing to the credit of Madhya Pradesh State Warehousing Corporation in any bank with which it is presently doing business.

(4) The new Corporation formed by the Madhya Pradesh Government, that is, Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation would be deemed to have simultaneously assumed all the rights, obligations and liabilities in respects of any contracts of Madhya Pradesh State Warehousing Corporation relating to goods stored, property and interests in the State of Madhya Pradesh, while the Chattisgarh State Warehousing Corporation would be deemed to have assumed the rights and obligations relating to goods stored, property and interests of Madhya Pradesh State Warehousing Corporation in the State of Chattisgarh.

(5) All expenses of litigation, audit etc. on behalf of Madhya Pradesh State Warehousing Corporation after it ceases its business would be paid by the new Corporation, that is, Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation in the first instance, and shall be shared in the agreed proportion by the Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation and Chattisgarh State Warehousing Corporation.

7. **Staff**. - (1) The employees of Madhya Pradesh State Warehousing Corporation would be divided according to the principle adopted by the State Advisory Committee in respect of State Government employees in the ratio of 68.35:31.65.

(2) The services of employees of Madhya Pradesh State Warehousing Corporation working in Chattisgarh as on 2nd May, 2002 would be treated on deputation to Chattisgarh State Warehousing Corporation (CGSWC) from that date.

(3) The services of all staff employed by Madhya Pradesh State Warehousing Corporation, other than those employees, whose services have been transferred to the Chattisgarh State Warehousing Corporation, would be deemed to have been transferred to new Corporation formed by the Madhya Pradesh Government from the 31st March, 2003.

(4) The salary of excess employees with effect from the 2nd May, 2002 may be initially paid by Madhya Pradesh State Warehousing Corporation and then it may be shared on 50:50 basis by both Corporations till the transfer of staff, as per agreed ratio, is complete.

8. **Overall financial adjustment**. – The division of assets and liabilities mentioned in clauses 4 and 6 shall be subject to overall financial adjustment among the States of Madhya Pradesh and Chattisgarh in such manner that the net assets, that is to say, the excess of assets over liabilities, shall accrue to them in the 68.35:31.65 ratio.

9. **Accounts**. – The account books of the erstwhile Madhya Pradesh State Warehousing Corporation and all other relevant records upto 31st March,2003 shall continue to be maintained by the State of Madhya Pradesh.

10. **Joint Reserve Fund**. - In order to meet the known or unknown liabilities of the Corporation, an amount to be mutually agreed by the States of Madhya Pradesh and Chattisgarh may be set aside out of the divisible cash/bank balance as joint reserve fund; and the State of Madhya Pradesh shall operate this fund in consultation with the State of Chattisgarh and maintain the accounts thereof. The State of Chattisgarh shall reimburse share of the liabilities of the Corporation to the State of Madhya Pradesh which may arise in the final division of assets and liabilities in accordance with this Order, if joint reserve fund is not sufficient to discharge these liabilities.

[No. 7-1/2002-SG(Vol-III)]

S. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

Under sub-section (3) of section 58 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000, the assets, rights and liabilities of the erstwhile Madhya Pradesh Warehousing Corporation were required to be apportioned between the successor States, in such manner as may be agreed among them on dissolution of the Corporation or if no agreement is reached, in such manner as the Central Government may by Order determine. The erstwhile Madhya Pradesh Warehousing Corporation stood dissolved on the 1st day of October, 2002. The successor States of Madhya Pradesh and Chattisgarh have, however, come to an agreement upon the apportionment of assets, rights and liabilities on the 22nd April, 2002. Accordingly, the Central Government are issuing the Order and have decided to give effect to the provisions contained in this order from 1st April, 2003 in terms of the provisions of sub-section (3) of section 58 of the Act. The interests of any party are not prejudicially affected by the proposed retrospective effect.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.